



सत्यमेव जयते

कुलाधिपति  
Chancellor

कोटा विश्वविद्यालय,  
University,  
राज भवन, जयपुर – 302006  
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.32(2)आरबी / 2024 / 3053

दिनांक : 05 जून, 2025

### आदेश

मैं, हरिभाऊ बागड़े, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2003 (यथा संशोधित) की धारा 11(3) व (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोजबीन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार के परामर्श से प्रो. (डॉ.) भगवती प्रसाद सारस्वत, पूर्व डीन एवं विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए कोटा विश्वविद्यालय, कोटा का कुलगुरु नियुक्त करता हूँ।

यह नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतर्कता अनापत्ति प्रस्तुत करने के अधीन होगी।

हस्ता0 / –  
(हरिभाऊ बागड़े)  
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.32(2)आरबी / 2024 / 3054

दिनांक : 05 जून, 2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रो. (डॉ.) भगवती प्रसाद सारस्वत, केशव-12, हरविलास शारदा मार्ग, सिविल लाईन्स, अजमेर-305001
5. प्रो. कैलाश सोढाणी, कुलगुरु, वर्धमान महवीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
6. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
7. कुलसचिव, वर्धमान महवीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
8. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल, राजभवन को राजभवन की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।



सचिव,  
राज्यपाल, राजस्थान